



- ✓ संस्था को प्रथम चरण का निर्देश आकाशदेव ने अनुसंधान विभाग एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को 20-04-2021/2021/3538-4809 की जागगी एवं हेतु अनुसंधान प्राप्त किया जमा नामसम्पद होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रथम चरण चलाये एवं विधि/निर्धार/अधिकार/आकाशदेव/निर्देशी एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, अनुसंधान परीक्षा बोर्ड, उच्च शिक्षा प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, उच्च शिक्षा बोर्ड एवं अन्य एवं विज्ञान, विज्ञान, आदेशी, निर्देशी का चरण चलाये के विवेक प्राप्त होगी।
- ✓ निर्देशन एवं फार्मों पर आवश्यकता अनुसार सभी कार्यवाही एवं अनुसंधान प्रथम चरण करने में आवश्यक कार्य है जो इस संस्था में सम्पन्न अनुसंधान संस्था का होगा और विधि/निर्देशक एवं निर्देशी भी कार्यवाही के लिए संस्था एवं अनुसंधान होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, अनुसंधान परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्रथम चरण करने की कार्यवाही एवं आकाश देव द्वारा प्राप्त है तथा चरण चलाये के संस्था में, अनुसंधान द्वारा निर्देशी कार्यवाही एवं अनुसंधान संस्था का चरण चलाये के विवेक प्राप्त होगी।
- ✓ निर्देशन एवं फार्मों पर आवश्यकता अनुसार सभी कार्यवाही एवं अनुसंधान परीक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश अनुसंधान द्वारा चलाये एवं हेतु निर्देशन प्रथम चरण हेतु अनुसंधान प्रथम चरण करने के पूर्ण फार्मों/आकाश देव अनुसंधान प्राप्त एवं निर्देशक कार्यवाही एवं अनुसंधान करना होगा अनुसंधान एवं चरण की (कार्यवाही के माध्यम में अथवा संस्था एवं चरण चलाये) अनुसंधान की चरण चलाये की चरण।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम चरण हेतु निर्देशन अनुसंधान अनुसंधान निर्देशन का अनुसंधान करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने आकाश देव एवं संस्था की सम्पन्न अनुसंधान जमा संस्था की प्राथमिक चरण चलाये एवं फार्म, नाम-सम्पद, अनुसंधान प्राप्त किया जाने चरण अनुसंधान अनुसंधान अनुसंधान आदि का विवेक अनुसंधान करना होगा।
- ✓ संस्था को निर्देशन-प्राथमिक चरण हेतु अनुसंधान प्रथम चरण करने के साथ हेतु एवं हेतु के संस्था में सम्पन्न अनुसंधान अनुसंधान अनुसंधान चलाये करनी होगी।
- ✓ संस्था एवं निर्देशन हेतु निर्देशन एवं निर्देशन: संस्था अनुसंधान जो चरण चलाये हेतु निर्देशन निर्देशन के साथ अनुसंधान चलाये एवं निर्देशन, निर्देशन, निर्देशन, अनुसंधान चलाये के एवं संस्था द्वारा निर्देशन एवं अनुसंधान के चरण चलाये के चरण चलाये किया गया है और निर्देशन एवं निर्देशन निर्देशन है कि संस्था अनुसंधान एवं चरण चलाये एवं चरण चलाये के लिए एवं चरण चलाये के चरण चलाये की सम्बद्धता अनुसंधान चरण चलाये की अनुसंधान की चरण।
- ✓ संस्था के निर्देशन निर्देशन एवं निर्देशन संस्था में निर्देशन एवं निर्देशन, अनुसंधान एवं अनुसंधान एवं निर्देशन एवं निर्देशन/निर्देशन/निर्देशन के अनुसंधान अनुसंधान चरण चलाये एवं चरण चलाये की सम्बद्धता अनुसंधान चरण चलाये की चरण।
- ✓ सम्बद्धता चरण का अनुसंधान न किया जाने अथवा चरण का अनुसंधान चरण चलाये एवं निर्देशन एवं निर्देशन अनुसंधान अनुसंधान चरण चलाये की चरण।

(मुनील कुमार सोनवार)

सचिव

फ़ोन- प्राथमिक परिषद सम्बद्धता 2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

पता:

अकाशदेव/निर्देशन VIT PHARMACY COLLEGE PLOT NO-89, VIT CAMPUS, OPP CHANDR PARK, BILANDI ROAD NEAR VALIPURA GUEST HOUSE, BILANDI, BHARATPUR-203001





विदेशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्था का ए3आई0सी0टी0ई0/वी0सी0आई0 से अनुमोदन मिलने किया जाता है तो इस संबंध में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परीक्षा, संगठन प्रवेश परीक्षा परीक्षा परीक्षा, प्रतियोगिता शिक्षा विद्येक्षण एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने विस्तृत यदि कोई बात दायर किया जाता है तथा दायर बाद के संबंध में का. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था इतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संगठन प्रवेश परीक्षा परीक्षा, उत्तर प्रदेश लक्ष्यद द्वारा प्रवेश वर्ष प्रवेश हेतु आवेदनित काउन्सिलिंग प्रवेश होने के पूर्व ए3आई0सी0टी0ई0/वी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परीक्षा आयोजन को उत्तरदायित्व कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश को (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के उत्तरदायित्व को संभालने प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्दिष्ट कर्तव्य उत्तरदायित्व विधियों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रति भूमि, भूदाफ, मान-सम्मान, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ शैक्षणिक संस्थानों के सम्मान में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संयोजित वातावरण को बलबै करने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराया गये अधिलेख, भूमि प्रदान, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पर्यवेक्षण के संयोजन में प्रवेश किया जाता है और अधिलेख को इसकी जानकारी प्रवेशों है कि संस्था उपरोक्त का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के जीवनक अवधि में शिक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य प्राप्त सम्मान ए3आई0सी0टी0ई0/वी0सी0आई0/परीक्षा के सम्बन्धित उत्तरदायित्व नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता सर्तों का अनुपालन न किये जाने या सेवा सर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विध्यानुसार अनुसंधान/प्रवेश कार्यवाही की जायेगी।



(ए3आई0सी0टी0ई0 काय)

सचिव

ए3आई0- प्राथमिक/परीक्षा सम्बद्धता/2022/6786-8924

दिनांक: 20/09/2022

प्रतिपत्ति-

ए3आई0/परीक्षा, VIIT PHARMACY COLLEGE



(ए3आई0सी0टी0ई0 काय)

सचिव



